न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/04/2016

वउनवान

1. प्रताप पुत्र ज्ञाना जाति मेव निवासी नगला मुसैला तहसील कठूमर

——— अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत तसई पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर
2. जुम्मी पुत्री ज्ञाना पत्नी कमलखां जाति मेव निवासी नगला मुसैला हालवासी ग्राम जटवाना तहसील व जिला अलवर
3. सूकी पुत्री ज्ञाना पत्नी गोरे खां जाति मेव निवासी नगला मुसैला हाल निवासी जटबाना तहसील व जिला अलवर

——— रेस्पोडेण्टस

4. गूँगा खां पुत्र ज्ञाना जाति मेव निवासी नगला मुसैला
5. बैनीखां पुत्र ज्ञाना जाति मेव निवासी नगला मुसैला
6. पांच्या पुत्र ज्ञाना जाति मेव निवासी नगला मुसैला
7. भोकतखां पुत्र ज्ञाना जाति मेव निवासी नगला मुसैला तहसील कठूमर

——— तर0 रेस्पो0

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत तसई

दिनांक 20.02.2016इन्तकाल संख्या 3760

वाके ग्राम तसई

उपस्थित :–

श्री सुभाषचन्द" अर्रूवा" भार्मा : वकील अपीलाण्टस

निर्णय दिनांक 15/2/17

अपीलाण्टा द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि अपीलाण्टस व रेस्पो0 नम्बर 2 ला0 7 के पिता ज्ञाना की आराजीयात वाके ग्राम तसई ए तहसील कठूमर में स्थित है। ज्ञाना की मृत्यु हो चुकी है जिसका विरासत इन्तकाल संख्या 3760 वाके ग्राम तसई ए पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.01.2016 को दर्ज किया गया है जो ग्राम पंचायत तसई द्वारा दिनांक 20.02.2016 को स्वीकार किया गया है। मृतक ज्ञाना जाति से मेव (मुसलमान) है जो मुस्लिम विधि से गर्वन होते है। मुस्लिम विधि के मुताविक मृतक की सम्पत्ति में उसकी मृत्यु के वाद उसकी पुत्रियों का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा पुत्रियों को अ एंव

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 सं0 4 ला0 7 कुल 5 पुत्र है जो जीवित है। मृतक का इन्तकाल संख्या 3760 दर्ज करते समय उक्त कानूनन का ध्यान नहीं रखा गया तथा मृतक ज्ञाना की आराजी का इन्तकाल उसके पुत्र व पुत्रियों रेस्पो0 सं0 2 ला0 7 के हक में वहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया है तथा इसी कदर ग्राम पंचायत तसई द्वारा स्वीकार किया जाकर फैसल किया गया है जवकि उक्त इन्तकाल तन्हा मृतक के वारिस पुत्रों/अपीलाण्टस एंव रेस्पो0 सं0 4 ला0 7 के नाम दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिए था इस वजह से उक्त इन्तकाल संख्या 3760 खारिज किया जावे। मेव जाति मुस्लिम विधि में सुन्नी होते है तथा सुन्नी उत्तराधिकार के मृतक की सम्पत्ति में पुत्रों के अधिकार होते है तथा पुत्रियों को कोई हिस्सा देय नहीं है जवकि मृतक का इन्तकाल पुत्रियों के नाम विरासत दर्ज की गई है। उक्त इन्तकाल अपीलाण्टस को विना वुलाये विना सुने खिलाफ कानून खिलाफ मौका तस्दीक कर दिया कि जिस गलत इन्तकाल का प्रथम वार ईल्म दिनांक 07.06.2016 को हुआ दिनांक 08.06.2016 को इन्तकाल की नकल लेकर व कानूनी सलाह लेकर अपील जानकारी से अन्दर अवधि विना देरी के पेश की गई है। देरी को कण्डोन करने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 3760 दिनांक 20.02.2016 वाके ग्राम तसई ए तहसील कठूमर निरस्त किया जाकर मृतक के वारिस पुत्र अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 4 ला0 7 के नाम स्वीकार किया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पो0 सं0 2–3 की ओर से जवाव अपील व जवाव प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश हुआ। रेस्पो0 सं0 4,5,7 मय वकील उप0 आये। रेस्पो0 सं0 2–3 ने जवाव अपील पेश कर कथन किया कि मुस्लिम विधि में भी लडकियों का अधिकार होता है। पटवारी हल्का ने नियम कानून के अनुसार ही मृतक पिता का विरासत इन्तकाल भरा व ग्राम पंचायत ने स्वीकार किया है।ग्राम पंचायत का निर्णय विधि सम्मत है। मेव मुस्लिम विधि से गर्वन होते है तथा सुन्नी धर्म में भी वो मेव समाज की रीति रिवाज अनुसार भी मृतक की सम्पत्ति में लडके वो लडकियों के समान अधिकार होते है। अपीलाण्टस को उक्त ग्राम पंचायत के निर्णय की दिनांक 20.02.2016 से ही है अपीलाण्ट की सहमति व उपस्थिति में इन्तकाल का निर्णय ग्राम पंचायत तसई द्वारा किया गया है अपील अपीलाण्ट मियाद वाहर होने से खारिज की जावे।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में इन्तकाल संख्या 3760 वाके ग्राम तसई ए पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में कथन किया मुस्लिम विधि में पिता की जमीन में लडकियों का हक हिस्सा व अधिकार नहीं होता है केवल वारिस पूत्रों को ही अधिकार मिलता है लेकिन ग्राम पंचायत ने अपीलाण्टस को विना सुनाये विना वुलाये ही मृतक पिता ज्ञाना का विरासत इन्तकाल सभी लडका लडकियों के नाम वहिस्सा बराबर स्वीकार किया है जो गलत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

है। मृतक ज्ञाना का विरासत इन्तकाल केवल वारिस पुत्रों के नाम स्वीकार किया जावे इन्तकाल संख्या 3760 वाके ग्राम तसई ए ग्राम पंचायत तसई का आदेश दिनांक 20.02.2016 निरस्त किया जावे। गलत इन्तकाल की जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करली जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में कानूनी नजीर मुस्लिम विधि धारा 138 पेज 490 से 499 की छाया प्रति पेश की है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी वहस में कथन किया कि मुस्लिम रीति में भी लडकियों को लडकों के बराबर ही मृतक पिता की जमीन में हक हिस्सा व अधिकार मिलता है। इन्तकाल अपीलाण्टस की जानकारी व सहमति से कानूनन सही स्वीकार किया गया है। अपीलाण्टस ने अपील मियाद वाहर पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में कानूनी नजीर 2017 आर आर डी 228 से 231 की छाया प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि भुमार की जाती है। अपीलाण्टस ने उक्त इन्तकाल अपीलाण्टस को विना सुने विना वुलाये ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया जाना कथन किया है। ग्राम पंचायत ने उक्त इन्तकाल सं0 3760 वाके ग्राम तसई ए मृतक ज्ञाना के सभी वारिसान के नाम वहिस्सा बराबर स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त इन्तकाल अपीलाण्टस को विना सुने व विना वुलाये ही स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। इस वजह से ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 20.02.2016 अपीलाण्टस को विना सुने पारित होने से खारिज किया जाता है प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो पक्षकारान को सुनकर मृतक ज्ञाना का विरासत इन्तकाल मुस्लिम विधिनुसार निर्णीत करें। आदेश की प्रति बास्ते पालनार्थ तहसीलदार कठूमर को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 11/2/2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner